details of the Investigations of dhydro electric projects conducted by the Central Water Commission in J&K are given below:

| | |
|---|---|
| (1) Dul-Hasti Project (390 MW) . . . | Feasibility report has been prepared. |
| (2) Ratle Project (170 MW) | Preliminary Project Report has been prepared. |
| (3) Bursar (296 MW) | Investigations on three dam sites, viz., Bursar, Tillar and Nagar were carried out and abandoned on account of geological considerations. The detailed investigations on the fourth alternative site *viz.*, Hanzal are in progress since July, 1971. The draft feasibility report of the project is expected to be prepared during 1978-79. |
| (4) Pakhal-dul (375MW) . | Field Investigations are in progress. Draft preliminary reports are expected to be prepared by February, 1979. |
| (5) Baglehar Project (220 MW) . . | |
| (6) Sawalkot (290 MW) . . . . . | |

**जे० सी० बी० का फोटोलियो विभाग**

2016. **श्री महीपाल** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लिखित परीक्षा उत्तीर्ण कर लेने पर जे० सी० बी० के फोटोलियो विभाग को चलाने के लिये आवश्यक विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों की नियुक्ति के लिये किये गये साक्षात्कार के पश्चात् चुने गये प्रत्याशियों की आरम्भिक जांच का कार्य पुलिस ने पूरा कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो चुने गये कितने व्यक्तियों को नियुक्ति पत्र जारी कर दिये गये हैं ; और

(ग) ऐसे प्रत्याशियों की श्रेणीवार संख्या कितनी-कितनी है जिन्हें अभी तक नियुक्ति पत्र नहीं दिये गये हैं तथा इस विषय में विलम्ब के क्या कारण हैं और उन्हें नियुक्ति-पत्र कब तक दिये जाने की आशा है ?

**रक्षा मंत्री ( श्री जगजीवन राम )** : (क) चुने गये 42 प्रत्याशियों में से 41 के चरित्र तथा पूर्ववृत्त के सत्यापन का कार्य पूरा कर लिया गया है ।

(ख) 34.

(ग) जिन 7 प्रत्याशियों को अभी तक नियुक्ति पत्र नहीं दिये गये हैं, उनकी श्रेणीवार संख्या निम्नलिखित है :—

| | |
|---|---|
| असिस्टेंट आर्टिस्ट रीटचर | 1 |
| आफसेट मशीन मेन ग्रेड II | 2 |
| टेक्नीकल असिस्टेंट (वेरी टाइप) | 2 |
| डार्क रूम असिस्टेंट | 1 |
| कापी होल्डर | 1 |

इन 7 प्रत्याशियों को नियुक्ति-पत्र जारी करने में देरी होने का कारण यह है कि फोटोलिथो विभाग ने अभी तक पूरी क्षमता से काम शुरू नहीं किया है । इन व्यक्तियों को 2–3 मास में नियुक्ति-पत्र जारी किए जाने की सम्भावना है ।

**प्रशासनिक सुधार**

2017. **श्री दौलतराम सारण** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् प्रशासनिक सुधारों के लिए गठित की गयी

समितियों तथा आयोगों की संख्या, नाम तथा गठित किए जाने की तिथियां, पृथक-पृथक क्या हैं ;

(ख) क्या उनके द्वारा दिये गये सुझावों को क्रियान्वित किया गया था और यदि हां, तो इनमें से प्रत्येक सुझाव को क्रियान्वित करने पर कितना व्यय किया गया ;

(ग) क्या इन रिपोर्टों की प्रति सभा पटल पर रखी जाएगी ; और

(घ) क्या सरकार का विचार प्रशासन में मूल रूप से परिवर्तन करने का है और यदि हां, तो कब तक ?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० डी० पाटिल)** : (क) से (घ). सरकार ने प्रशासन के विभिन्न पहलुओं में सुधार लाने की दृष्टि से स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कई समितियों/आयोगों की स्थापना की है । इन समितियों/आयोगों में अन्य के अलावा ये शामिल हैं : सचिवालय पुनर्गठन समिति, अध्यक्ष-श्री गिरिजा शंकर वाजपेयी ; सरकार के शासनतंत्र का पुनर्गठन, अध्यक्ष—श्री एन० गोपालस्वमी आयंगर ; लोक प्रशासन संबंधी रिपोर्ट, अध्यक्ष—श्री ए० डी० गोरवाला तथा विभिन्न वेतन और वित्त आयोग । लेकिन, भारत में लोक प्रशासन की कार्यप्रणाली की सबसे व्यापक समीक्षा प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा की गयी, जिसका गठन 1966 में किया गया था । आयोग ने, अपना कार्य 1970 में पूरा कर लिया और 20 रिपोर्टें प्रस्तुत की, जिनमें 578 सिफारिशें दी गई थीं । केन्द्रीय सरकार से संबंधित आयोग की सिफारिशें तथा उन पर सरकार द्वारा लिए गए विर्णय समय-समय पर सदन की मेज पर रखे गए हैं । इस प्रकार का अंतिम विवरण-पत्र 17 नवम्बर 1977 को लोक सभा की मेज पर रखा गया ।

विभिन्न आयोगों और समितियों को विभिन्न सिफारिशों का किस सीमा तक कार्यान्वयन हो चुका है अथवा प्रत्येक सुझाव के कार्यान्वयन पर कितना खर्च हुआ है, इसका निर्धारण करना व्यवहार्य नहीं होगा । तथापि, प्रशासनिक सुधार एक निरंतर जारी रहने वाली प्रक्रिया है और प्रशासन में सुधार लाने के लिए निरंतर प्रयास किए जाते हैं ।

**अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित पद**

2018. **श्री राम विलास पासवान** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी पद के लिए यदि योग्य हरिजन और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदावर नहीं मिलते हैं, तो उस पद को अनारक्षित पद में बदल दिया जाता है ; और

(ख) क्या सरकार इस आशय के आदेश जारी करेगी कि यदि किसी पद के लिए अनुसूचित जनजाति के योग्य उम्मीदवार उपलब्ध न हों, तो उसे अनुसूचित जाति के उम्मीदारों के लिए आरक्षित कर दिया गया ?

**गृह मंत्रालय राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल)** : (क) और (ख). ऐसे आदेश पहले से ही विद्यमान हैं जिनके अनुसार अनुसूचित जन जातियों के लिए आरक्षित ऐसी रिक्तियों को, जिनके लिए इन जातियों के उम्मीदवार उपलब्ध न हों बिना भरी गई आरक्षित